23/07/24 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर
सायल के विरुद्ध इस्तगासा में वर्णित
मुकदमे करीबन 11 वर्ष पूर्व के
हैं तथा संबंधित थाना अधिकारी द्वारा
इस अवधि में ऐसा कोई दस्तावेज/
साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह
जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी
भी इन आपराधिक कृत्य में रत है।
तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से
जिससे किसी व्यक्ति/ सम्पत्ति को
नुकसान या खतरा होने की संभावना
है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं
परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान
गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की
धारा 3 के तहत आवश्यक आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:40 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है। जिससे आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे।

जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत यह इस्तगासा विरुद्ध गैर सायल बबलू उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगतुराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं.-24 भादरा पुलिस थाना भादरा को ड्रोप (Drop) किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:40 IST
Reason: SelfAttested